कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन क्रमांक / 3845 / शिक्षा / स्था. / जि.पं. / शि.क.नि. / 2012–13 बैकुण्ठपुर, दिनांक 04. / 01 / 2013

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्र. / पंचा.–192 / पंग्राविवि / 2012 / 1167 दिनांक 21.8.2012 एवं पत्र क्र. / पंचा.–142 / पंग्राविवि / 22 / 2012 / 1583 दिनांक 21.11.2012 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम् 2012 एवं यथासंशोधित नियम् में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा समय–समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों के अधीन जिला कोरिया में स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं / संस्थाओं में शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	विषय का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(स) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				(द) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				(इ) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	गणित	0	6	81	1	0	1	25	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	3	51	0
2	विज्ञान	1	1	49	2	0	0	14	0	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	29	0
3	अंग्रेजी	15	8	74	13	9	3	24	5	2	2	5	1	0	0	0	0	4	3	45	7
4	हिन्दी / संस्कृत	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	पी.टी.आई.	3	2	14	4	1	1	4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	9	1
	योग :–	19	17	220	20	10	5	67	6	3	5	18	5	0	0	1	1	6	7	134	8

टीपः–
1. UR= अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति ST= अनुसूचित जनजाति OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)
2. उपरोक्त पद में बैकलॉग पद सम्मिलित है।
3. रिक्त पदों की संख्या विषयवार, वर्गवार प्राप्त पदो के आधार पर घट–बढ़ सकती है जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

(1) वेतनमान रूपये :– शिक्षक (पंचायत) के लिये – वेतनमान रू. 4500–125–7000

(2) पात्रता की शर्तें :–

1. आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:– शिक्षक (पंचायत) के लिये– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक संबंधित विषय में स्नातक एवं (बी.एड.) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण। (बी.एड. के अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बी.एड. से छूट दी जायेगी– यह छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशी रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप, नियुक्त शिक्षक (पंचायत) को उनकी नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर बी.एड. अर्हता उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा)
2. आवेदक को कोरिया जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु (महिला 18 वर्ष एवं पुरूष 21 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
5. छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी तत् संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है) जीवित पंजीयन न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
6. आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि वे आवेदन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उन्होने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी अर्हता पूर्ण कर ली है। उसके पश्चात् प्राप्त की गई अर्हता को मान्य नहीं किया जावेगा।

(3) आयु सीमा :– दिनांक 01 / 01 / 2014 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । आयु सीमा में छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए भी लागू होगी।

(4) भर्ती का तरीका :–

1. मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।
   शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 अंक तथापि, ऐसे आवेदक, जिन्होने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हे स्नातक अथवा बी.एड. में प्राप्त पृथक–पृथक अंको के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिए जायेंगे।

2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत का होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।
8. किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र संलग्न कर असत्य अभिकथन/उद्घोषणा करना अथवा जांच में असत्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज पाये जाने पर संबंधित अभ्यार्थी की दावेदारी/नियुक्ति निरस्त कर आरक्षी केन्द्र में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

(5) आरक्षणनीति– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

(6) आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में :–

1. रिक्त पदों की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप नियम् एवं शर्ते जिला पंचायत के सूचना पटल (नोटिसबोर्ड)/ जिला रोजगार कार्यालय कोरिया/ कोरिया जिले के वेबसाईट ृणवतमंग्हवअण्पद या ृणवतमंण्दपबण्पद पर देखा जा सकता है। आवेदक को जिला पंचायत द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में ही आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सादे कागज में हस्तलिखित या टंकित कराकर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. सक्षम अधिकारी के जारी किये हुए प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी–राजस्व) द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा, किन्तु नियुक्ति के समय आदिम जाति अनुसंधान संस्थान रायपुर/अम्बिकापुर द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा कर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 02 नग टिकट (रजिस्टर्ड) लगा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र जिला पंचायत कोरिया में व्यक्तिगत/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय समय के दौरान दिनांक 21/01/2013 संध्या 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

पृ.क्रमांक/ 3846 /शिक्षा/स्था./जि.पं./शि.क.नि./2012–13 बैकुण्ठपुर, दिनांक ...../01/2013
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, कोरिया की ओर सूचनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया को सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया को सूचनार्थ।
9. जिला परियोजना समन्वयक (रा.गां.शि.मि.) कोरिया को सूचनार्थ।
10. जिला रोजगार अधिकारी कोरिया को सूचनार्थ।
11. जिला जनसंपर्क अधिकारी कोरिया को सूचनार्थ।
12. जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.) कोरिया को सूचनार्थ एवं अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

शिक्षक (पंचायत) भर्ती हेतु आवेदन पत्र

कार्यालयीन उपयोग हेतु
आवेदन क्रमांक..........................

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित वर्तमान पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः— **शिक्षक (पंचायत) भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।**

1. आवेदित पद का नाम—.............................. विषय का नाम..............................
2. आवेदक / आवेदिका का पूरा का नाम..............................
3. पिता / पति का नाम..............................
4. लिंग (महिला / पुरूष)..............................
5. जाति वर्ग—(अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य)..............................
6. जन्मतिथि अंको में ....(शब्दों में ....)
(दिनांक 01 / 01 / 2014 की स्थिति में— वर्ष .... माह ....दिन ....
7. यदि आयु सीमा में छूट की पात्रता है तो किस आधार पर विवरण देवें।.
....
8. पत्र व्यवहार का पता ....
....
..............................पिन..............................
9. आवेदक का स्थाई पता ....
....
..............................पिन..............................
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक..............................
रोजगार कार्यालय का नाम..............................
11. छ.ग. राज्य का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का पद..............................एवं जारी दिनांक..............................
12. छ.ग. राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का पद..............................एवं जारी दिनांक.............................. (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कम स्तर का नहीं।
13. आवेदक का विवाह 18 / 21 वर्ष पूर्ण करने पर हुआ है तथा वर्तमान में जीवित संतानों की संख्या ....है। इनमे से 26 जनवरी 2001 के पश्चात् जन्म लेने वाले जीवित संतान की संख्या..........है।

14. शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम व संस्था	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	हाईस्कूल							
2	हायर सेकेण्ड्री							
3	स्नातक							
4	बी.एड.							
5	टी.ई.टी.							
6	अन्य							

15. क्या विकलांग / भूतपूर्व सैनिक है यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें–
विकलांग (हाँ / नही)............... विकलांगता का प्रकार... प्रतिशत.......................................
भूतपूर्व सैनिक (हाँ / नहीं) ....

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची–

1.. 2.. 3..

4.. 5.. 6..

7.. 8.. 9..

10.. 11.. 12..

13.. 14.. 15..

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम..)

घोषणा – पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। आवेदित पद के लिए मैं विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत / असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीद्वारी रद्द की जा सकती है। इस संबंध में कोई जानकारी त्रुटि पूर्ण एवं गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

स्थान ....
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम..)